न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगबास जिला (अलवर)

अध्याशितः– श्री ओमप्रकाश सहारण आर0ए0एस

दावा सं0	दायर दिनांक	निर्णय
92 /2022	8.3.2022	30.3.22

उनवान

1.कृष्ण पुत्र मातादीन
2. जगदीश पुत्र रामजीलाल
3. जगराम पुत्र रामप्रसाद
4. नारायण पुत्र मातादीन
5. फूलवती पुत्री देवी सहाय
6. बन्सो पुत्री मातादीन
7. बिसराम पुत्र रामप्रसाद
8. भगोती पत्नि मातादीन
9. मंगतराम पुत्र रामजीलाल
10.मूर्ति पुत्री देवी सहाय
11.रघुवीर पुत्र मातादीन
12.रामवती पुत्री देवीसहाय
13.लालराम पुत्र रामजीलाल
14. शीशराम पुत्र देवीसहाय समस्त जाति गुर्जर निवासीयान कांकरा
15.कुडियां पुत्र दरिया
16.झासी पुत्र गोंपाल
17.जैना पुत्र हरफूल
18. प्यारेलाल पुत्र रामलाल
19. रामलाल पुत्र खूबी
20. रिछपाल पुत्र मनीराम
21. हरदेव पुत्र गंगासहाय समस्त जाति चमारान निवासी बासडा तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0।

:–वादीगण

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर किशनगढबास जिला अलवर

:–प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 89 आर0टी0एक्ट0 1955

उपस्थितिः–1. श्री बालकृष्ण वकील वादी की ओर से।

2. प्रतिवादी जवाब सरकार

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

निर्णय

यह है कि आराजी ख0 सं0 1014/1.05 वाके ग्राम कांकरा तहसील किशनगढबास दर्ज जमाबंदी हिस्सानुसार वादी सं0 1 लगा0 14 की खातेदारी की आराजी है तथा वादी सं0 15 लगा0 21 की गैर खातेदारी की आराजी है । जमाबन्दी में दर्ज मिश्रो देवी पत्नि रामजीलाल फौत हो चुकी है जिसके विधि वारिसान वादी सं0 2,9,13 है । विवादित आराजी वादीगण सं0 1 लगा0 14 की कब्जे काश्त खातेदारी की है वादीगण नं0 1 लगा0 4 के बुजुर्गान स्व0 श्री देवीसहाय, रामजीलाल, रामप्रसाद अपने जीवनकाल में काश्त करते थे। तथा उनके फौत होने के पश्चात् हम वादीगण नं0 1 लगा 14 काबिज काश्त है । मौके पर वादीगण की बोई हुई फसल सरसौ, गेहूं खडी है जो फसल पकने के कगार पर है।

हम वादीगण अपने अपने हिस्से पर दर्ज हिस्सानुसार काबिज काश्त है राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादीगण नं0 1 लगा 14 के नाम का अंकन बतौर खातेदार हो रहा है। तथाा वादी सं0 15 लगा 21 बतौर गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड है। मगर राजस्व रिकार्ड में बकाश्त का अंकन गलतरूप से हो रहा है। जिसे वीदगण हजफ कराने के अधिकारी है।

उक्त आराजी विवादित खसरा नं0 पर पूर्व में हम वादीगण नं0 1 लगा 14 के बुजुर्गान के नाम का अंकन हाल जमाबंदी में बतौर बकाश्त दर्ज किया हुआ है। जबकि वो अरसा दराज पूर्व ही फौत हो चुके है। हम वादीगण नं0 1 लगा 14 उनके विधिक वारिसान होने से आराजी उक्त पर अपने अपने हिस्से पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज है। तथा वादीगण नं0 15 लगा 21 अपने हिस्से अनुसार अपनी गैर खातेदारी की आराजी पर काबिज काश्त है । मगर राजस्व रिकार्ड हाल जमाबंदी में गलतरूप से हम वादीगण 1 लगा 14 के बुजुर्गान के नाम का अंकन बतौर उपकृषक बकाश्त दर्ज हो रहा है जो अंकन खिलाफ मौका व खिलाफ कानून के हो रहा है। जिस अंकन को हजफ किया जाना कानून संगत व न्यायोचित है।

उक्त बकाश्त के अंकन के कायम रहने से वादीगण को भूमि सुधार कार्यो में, क्रेडिट कार्ड बनवाने व खातेदारी लेने में काफी कठिनाईयां पैदा हो रही है। इसलिए वादीगण को दुरूस्ती का वाद पेश करना लाजिम आया है।

अ– डिक्री दुरूस्ती इंद्राज इस अमर की पारित की जावे कि हाल राजस्व रिकार्ड जमाबंदी वाके ग्राम कांकरा के आ0 ख0 नं0 1014/1.05 में जो अंकन " अ0विव–बकाश्त देवीसहाय,रामजीलाल,रामप्रसाद पि0 गंगासहाय गुर्जरि सा0 काकरा उपकृषक 11 साल" हो रहा है वह गलत है तथा हजफ किये जाने योग्य है हजफ किया जाकर दुरूस्ती के आदेश फरमावें।

ब– दीगर दादरसी जो बनजदीक अदालत श्रीमान हो अता फरमाई जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीग को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी ने जवाब पेश कर निवेदन किया की वादीगण अपनी साक्ष्य सबूत के आधार पर स्वयं सिद्व करें दावा में राज्य हित प्रभावित नही है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

सेवा में,

न्यायालय श्रीमान उपखण्डाधिकारी महोदय
किशनगढ़-बास (अलवर)

राजस्व वाद संख्या:- 92

वकील वादीगण ने वाद मे साक्ष्य पेश ना कर सीधे ही बहस करने का निवेदन किया वकील वादी की बहस सुनी गई। तथा पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली में संलग्न जमाबंदी संवत 2076 से 79 के अनुसार वादीगण मूल खातेदार है तथा विवादित आराजी के सामने जो अंकन बकाशत वगै0 को अंकन हो रहा है उसे हजफ किया जाना उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः आदेश है किः—

वाद वादी विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाता है कि आराजी ख0न0 1014 रकबा 1.05 वाके ग्राम कांकरा तहसील किशनगढबास में जों अंकन अ0विव— बकाश्त देवीसहाय, रामजीलाल , रामप्रसाद पि0 गंगासाय गूर्जर सा0 कांकरा उपकृषक 11 साल हो रहा है उसे हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनानुसार ही राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती हो। खर्चा फैरीकेन अपना वहन करेगा।पत्रावली फैसल सुमार होकर पर्चा डिक्री जारी हो। दाखिल लेख भण्डार हो । सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगबास जिला (अलवर)

अध्याशितः– श्री ओमप्रकाश सहारण आर0ए0एस

दावा सं0	दायर दिनांक	निर्णय
92 / 2022	8.3.2022	

<u>उनवान</u>

1.कृष्ण पुत्र मातादीन
2. जगदीश पुत्र रामजीलाल
3. जगराम पुत्र रामप्रसाद
4. नारायण पुत्र मातादीन
5. फूलवती पुत्री देवी सहाय
6. बन्सो पुत्री मातादीन
7. बिसराम पुत्र रामप्रसाद
8. भगोती पत्नि मातादीन
9. मंगतराम पुत्र रामजीलाल
10.मूर्ति पुत्री देवी सहाय
11.रघुवीर पुत्र मातादीन
12.रामवती पुत्री देवीसहाय
13.लालराम पुत्र रामजीलाल
14. शीशराम पुत्र देवीसहाय समस्त जाति गुर्जर निवासीयान कांकरा
15.कुडियां पुत्र दरिया
16.झासी पुत्र गोंपाल
17.जैना पुत्र हरफूल
18. प्यारेलाल पुत्र रामलाल
19. रामलाल पुत्र खूबी
20. रिछपाल पुत्र मनीराम
21. हरदेव पुत्र गंगासहाय समस्त जाति चमारान निवासी बासडा तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0।

:–वादीगण

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर किशनगढबास जिला अलवर

:–प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 89 आर0टी0एक्ट0 1955

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

उपस्थितिः—1. श्री बालकृष्ण वकील वादी की ओर से।
2. प्रतिवादी जवाब सरकार

पर्चा डिक्री

वाद वादी विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाता है कि आराजी ख0न0 1014 रकबा 1.05 वाके ग्राम कांकरा तहसील किशनगढबास में जों अंकन अ0विव— बकाश्त देवीसहाय, रामजीलाल , रामप्रसाद पि0 गंगासाय गूर्जर सा0 कांकरा उपकृषक 11 साल हो रहा है उसे हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनानुसार ही राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती हो। खर्चा फैरीकेन अपना वहन करेगा।पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो । सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)